राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 1982
बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते.

महाराष्ट्र शासन,
वित्त विभाग,
शासन निर्णय क्रमांकः-गवियो1098/प्र.क्र.12/98/शा.हमी,
मंत्रालय, मुंबई-400 032. दिनांक :- 3 डिसेंबर, 1998.

संदर्भ:- (1) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक डीओआय-2081/4701/एडीएम-5, दिनांक 26 एप्रिल, 1982.

(2) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः गवियो-1088/प्र.क्र.9/88/कोषागारे-5, दिनांक 1 सप्टेंबर, 1988.

(3) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः गवियो-1089/प्र.क्र.664/89/विमा, दिनांक 8 जानेवारी, 1990.

(4) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः गवियो-1089/प्र.क्र.664/89/विमा, दिनांक 14 फेब्रुवारी, 1990

(5) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक गवियो-1089/प्र.क्र.664/89/विमा, दिनांक 5 नोव्हेंबर, 1990.

(6) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक गवियो-1091/प्र.क्र.452/91/सेपवि, दिनांक 10 ऑगस्ट, 1992.

(7) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- गवियो-1095/प्र.क्र.26/95/शा.हमी, दिनांक 26 सप्टेंबर, 1995.

निर्णय :- शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक गवियो-1095/प्र.क्र.26/95/शा.हमी, दिनांक 26 सप्टेंबर, 1995 अन्वये सन 1996, 1997, 1998 या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सुधारित परिगणितीय तक्ते 1 जानेवारी, 1996 नंतर सभासदत्व संपुष्टात येणा-या कर्मचा-यांना देय होणा-या बचत निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठी प्रसारित करण्यात आले होते.

2. आता दिनांक 1 जानेवारी, 1999 नंतर योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणा-या कर्मचा-यांना त्यानंतर देय होणा-या बचत निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठी शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक गवियो 1095/प्र.क्र.26/95/शा.हमी, दिनांक 26 सप्टेंबर, 1995 नुसार बचत निधीच्या लाभाच्या परिगणितीय तक्त्यात दिनांक 1 जानेवारी, 1999 नंतर देय होणा-या रकमेच्या अनुषंगाने बदल करुन सन 1999, 2000, 2001 या तीन वर्षांत सभासदत्व संपुष्टात येणा-या कर्मचा-यांना बचत खात्यामध्ये संचित होणा-या बचत निधीच्या रकमेचे प्रदान करण्याकरिता सुधारित परिगणितीय तक्ते तयार करण्यात आले असून ते सोबत जोडले आहेत. दिनांक 1 जानेवारी, 1999 नंतरच्या कालावधीत योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणा-या कर्मचा-यास त्या सुधारित परिगणितीय तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे, प्रति युनिटकरिता बचत निधीची संचित रक्कम प्रदान करण्यात यावी.

3. सर्व मंत्रालयीन विभाग तसेच मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांनी दिनांक 1 जानेवारी, 1999 नंतर राजीनामा सेवानिवृत्ती किंवा सेवेत असताना मृत्यू पावल्याने व इतर काही कारणाने गट विमा योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणा-या कर्मचा-यांना/कर्मचा-यांच्या वारसांना सोबतच्या तक्त्यानुसार त्यांना देय होणारी बचत निधीची रक्कम तसेच अतिरिक्त रक्कम प्रदान करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

वि. प्र. कुळकर्णी.
शासनाचे अवर सचिव, वित्त विभाग.

प्रति,

राज्यपालांचे सचिव,
मुख्य मंत्र्यांचे सचिव,

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक,
मंत्रालयाचे सर्व विभाग,
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई,
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर,
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुंबई,
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर,
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,
सर्व विभागीय आयुक्त,
मंत्रालयीन विभागाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख,
* प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई,
* प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई,
* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,
* सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई,
* प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई,
विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (5 प्रती),
उप संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक,
मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई,
उप मुख्य लेखा परीक्षक, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती विभाग,
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी,
विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली,
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई,
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने,
निवड नस्ती, कार्यासन शा. हमी, वित्त विभाग,

---

* पत्राने.

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक गवियो-1098/प्र.क्र.12/98/शा.हमी. दिनांक 3 डिसेंबर, 1998 चे जोडपत्र.

शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 1982 (सुधारित)

मृत्यू, सेवा निवृत्ती, राजीनामा इत्यादी कारणामुळे योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणा-या महिन्याच्या अखेरीपर्यंतच्या प्रत्येक महिन्याला जानेवारी, 1990 पासून रु.15 प्रमाणे अंशदान करणा-या सदस्याच्या बचत खात्यामध्ये संचित होणारी बचत निधीची व्याजासह एकूण देय होणारी रक्कम दर्शविणारा तक्ता.

(नियम क्रमांक 8.2.)

(अ) 1999 या वर्षी सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास देय होणारी रक्कम.

बचत निधीचा सदस्य होण्याचा दिनांक	सदस्यत्व संपुष्टात येण्याचा महिना.											
	जानेवारी	फेब्रुवारी	मार्च	एप्रिल	मे	जून	जुलै	ऑगस्ट	सप्टेंबर	ऑक्टोबर	नोव्हेंबर	डिसेंबर
1 मे, 1982	4965	5024	5084	5145	5207	5269	5331	5395	5459	5523	5588	5654
1 मे, 1983	4441	4495	4550	4606	4662	4718	4776	4833	4892	4951	5010	5070
1 मे, 1984	3975	4025	4075	4126	4178	4230	4282	4335	4388	4442	4497	4552
1 मे, 1985	3542	3588	3634	3680	3727	3774	3822	3871	3920	3969	4019	4069
1 मे, 1986	3153	3194	3237	3279	3322	3366	3409	3454	3498	3543	3589	3635
1 मे, 1987	2804	2843	2881	2920	2960	3000	3040	3080	3121	3163	3205	3247
1 मे, 1988	2494	2529	2565	2601	2637	2674	2711	2748	2786	2824	2862	2901
1 मे, 1989	2213	2246	2278	2311	2345	2379	2413	2447	2482	2517	2552	2588
1 जानेवारी, 1990	2043	2074	2105	2137	2168	2200	2232	2265	2298	2331	2365	2399
1 जानेवारी, 1991	1697	1725	1752	1780	1808	1837	1865	1894	1923	1953	1983	2013
1 जानेवारी, 1992	1390	1414	1439	1463	1488	1514	1539	1565	1591	1617	1643	1670
1 जानेवारी, 1993	1117	1138	1160	1182	1204	1226	1249	1272	1295	1318	1342	1366
1 जानेवारी, 1994	874	893	912	932	952	971	992	1012	1032	1053	1074	1095
1 जानेवारी, 1995	658	675	692	710	727	745	763	781	799	817	836	855
1 जानेवारी, 1996	466	482	497	512	528	544	559	575	592	608	625	641
1 जानेवारी, 1997	296	310	323	337	351	365	379	393	407	422	437	451
1 जानेवारी, 1998	145	157	169	181	193	206	218	231	244	257	270	283
1 जानेवारी, 1999	11	21	32	43	54	65	76	87	98	110.	121	133

एच-1079(1499)+9-12-98)2

(ब) 2000 यावर्षी सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास देय होणारी रक्कम.

बचत निधीचा सदस्य होण्याचा दिनांक	सदस्यत्व संपुष्टात येण्याचा महिना.											
	जानेवारी	फेब्रुवारी	मार्च	एप्रिल	मे	जून	जुलै	ऑगस्ट	सप्टेंबर	ऑक्टोबर	नोव्हेंबर	डिसेंबर
1 मे, 1982	5721	5788	5856	5924	5993	6063	6134	6205	6277	6350	6423	6497
1 मे, 1983	5131	5192	5254	5317	5380	5444	5508	5573	5639	5705	5772	5840
1 मे, 1984	4607	4663	4720	4777	4835	4893	4952	5012	5072	5133	5194	5256
1 मे, 1985	4120	4171	4223	4275	4328	4381	4435	4490	4545	4600	4656	4713
1 मे, 1986	3682	3729	3776	3824	3872	3921	3970	4020	4070	4121	4173	4224
1 मे, 1987	3290	3333	3376	3420	3464	3509	3554	3600	3646	3693	3740	3787
1 मे, 1988	2940	2980	3020	3060	3101	3142	3184	3226	3268	3311	3355	3398
1 मे, 1989	2624	2661	2697	2735	2772	2810	2848	2887	2926	2966	3006	3046
1 जानेवारी, 1990	2433	2468	2503	2538	2573	2609	2646	2682	2720	2757	2795	2833
1 जानेवारी, 1991	2043	2074	2105	2137	2168	2200	2232	2265	2298	2331	2365	2399
1 जानेवारी, 1992	1697	1725	1752	1780	1808	1837	1865	1894	1923	1953	1983	2013
1 जानेवारी, 1993	1390	1414	1439	1463	1488	1514	1539	1565	1591	1617	1643	1670
1 जानेवारी, 1994	1117	1138	1160	1182	1204	1226	1249	1272	1295	1318	1342	1366
1 जानेवारी, 1995	874	893	912	932	952	971	992	1012	1032	1053	1074	1095
1 जानेवारी, 1996	658	675	692	710	727	745	763	781	799	817	836	855
1 जानेवारी, 1997	466	482	497	512	528	544	559	575	592	608	625	641
1 जानेवारी, 1998	296	310	323	337	351	365	379	393	407	422	437	451
1 जानेवारी, 1999	145	157	169	181	193	206	218	231	244	257	270	283
1 जानेवारी, 2000	11	21	32	43	54	65	76	87	98	110	121	133

(क) 2001 यावर्षी सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास देय होणारी रक्कम.

बचत निधीचा सदस्य होण्याचा दिनांक	जानेवारी	फेब्रुवारी	मार्च	एप्रिल	मे	जून	जुलै	ऑगस्ट	सप्टेंबर	ऑक्टोबर	नोव्हेंबर	डिसेंबर
1 मे, 1982	6572	6647	6724	6801	6879	6957	7037	7117	7198	7280	7362	7446
1 मे, 1983	5908	5977	6047	6117	6188	6260	6333	6406	6480	6554	6630	6706
1 मे, 1984	5319	5382	5446	5510	5575	5641	5707	5774	5842	5910	5979	6049
1 मे, 1985	4770	4828	4886	4945	5004	5064	5125	5186	5248	5310	5374	5437
1 मे, 1986	4277	4330	4383	4437	4491	4546	4602	4658	4714	4772	4829	4888
1 मे, 1987	3835	3884	3933	3982	4032	4083	4134	4185	4237	4289	4342	4396
1 मे, 1988	3442	3487	3532	3578	3623	3670	3717	3764	3812	3860	3909	3958
1 मे, 1989	3087	3128	3169	3211	3253	3296	3339	3383	3427	3471	3516	3561
1 जानेवारी, 1990	2871	2910	2950	2989	3030	3070	3111	3152	3194	3236	3279	3322
1 जानेवारी, 1991	2433	2468	2503	2538	2573	2609	2646	2682	2720	2757	2795	2833
1 जानेवारी, 1992	2043	2074	2105	2137	2168	2200	2232	2265	2298	2331	2365	2399
1 जानेनारी, 1993	1697	1725	1752	1780	1808	1837	1865	1894	1923	1953	1983	2013
1 जानेवारी, 1994	1390	1414	1439	1463	1488	1514	1539	1565	1591	1617	1643	1670
1 जानेवारी, 1995	1117	1138	1160	1182	1204	1226	1249	1272	1295	1318	1342	1366
1 जानेवारी, 1996	874	893	912	932	952	971	992	1012	1032	1053	1074	1095
1 जानेवारी, 1997	658	675	692	710	727	745	763	781	799	817	836	855
1 जानेवारी, 1998	466	482	497	512	528	544	559	575	592	608	625	641
1 जानेवारी, 1999	296	310	323	337	351	365	379	393	407	422	437	[illegible]61
1 जानेवारी, 2000	145	157	169	181	193	206	218	231	244	257	270	283
1 जानेवारी, 2001	11	21	32	43	54	65	76	87	98	110	121	133